उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहारण वाद सं0-01/2020-21

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा

वनाम

वाहन निबंधन संख्या- BR07G8694 एवं अन्य 54

-: आदेश :-

दिनांक 11/7/2020

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक-1058/एम0, दिनांक-08.07.2020 से प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि कुल-20(बीस) वाहन मालिकों के द्वारा खनन, परिवहन एवं वाणिज्यिक कर दण्ड स्वरूप देय राशि का भुगतान करते हुए जमानत पत्र दाखिल किया गया है। जिसका विवरण निम्न है:-

प्रतिवादी सं0-5 वाहन सं0-BR09U7162, प्रतिवादी सं0-6 वाहन सं0-BR06GD0612, प्रतिवादी सं0-8 वाहन सं0-BR06GD9612, प्रतिवादी सं0-10 वाहन सं0-WB59B7057, प्रतिवादी सं0-11 वाहन सं0-WB59B7062, प्रतिवादी सं0-13 वाहन सं0-BR06GC3984, प्रतिवादी सं0-14 वाहन सं0-BR06GA0486, प्रतिवादी सं0-28 वाहन सं0-BR06GA8674, प्रतिवादी सं0-29 वाहन सं0-BR10GB4888, प्रतिवादी सं0-34 वाहन सं0-BR09GA6976, प्रतिवादी सं0-42 वाहन सं0-BR10GA9929, प्रतिवादी सं0-43 वाहन सं0-BR10GB4910, प्रतिवादी सं0-44 वाहन सं0-BR10GB1490, प्रतिवादी सं0-45 वाहन सं0-BR10GA9767, प्रतिवादी सं0-46 वाहन सं0-BR10GB4719, प्रतिवादी सं0-49 वाहन सं0-BR01GH8181, प्रतिवादी सं0-50 वाहन सं0-BR07GB1459, प्रतिवादी सं0-52 वाहन सं0-BR01GH8118, प्रतिवादी सं0-54 वाहन सं0-BR01GC8354, प्रतिवादी सं0-55 वाहन सं0-BR09GA5869।

जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा से कागजातों की सत्यापन संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

Sl.No	Vehicle Number	Insurance	Permit	Road Tax	Fitness
1	BR09U7162	24-Jul-20	Valid	10-May-21	13-Aug-21
2	BR06GD0612	9-May-21	Valid	25-Aug-20	24-May-20
3	BR06GD9612	02-May-21	Valid	10-Nov-20	3-Jun-22
4	WB59B7057	10-Jan-21	Valid	29-Jul-20	30-Jan-22
5	WB59B7062	10-Jan-21	Valid	29-Jul-20	30-Jan-22
6	BR06GC3984	12-Mar-21	Valid	27-09-20	26-Mar-22
7	BR06GA0486	29-May-20	Valid	21-09-20	24-Jan-21
8	BR06GA8674	7-Jul-20	Valid	19-Jun-20	5-Sep-21
9	BR10GB4888	6-Dec-20	Valid	6-Mar-20	8-Jan-22
10	BR09GA6976	22-Nov-20	Valid	22-May-21	2-Jan-21
11	BR10GA9929	13-Apr-21	Valid	27-10-20	25-06-22
12	BR10GB4910	31-Dec-20	Valid	20-07-20	20-Jan-22
13	BR10GB1490	24-Oct-20	Valid	15-08-20	15-Nov-20
14	BR10GA9767	21-Mar-21	Valid	11-Jul-20	18-06-2022
15	BR10GB4719	24-Nov-20	Valid	22-09-20	22-Dec-21
16	BR01GH8181	27-Dec-20	Valid	18-Jul-20	16-Jan-21
17	BR07GB1459	3-Dec-20	Valid	22-09-20	22-Dec-21
18	BR01GH8118	27-Dec-20	Valid	18-Jul-20	16-Jan-21
19	BR01GC8354	15-Nov-20	Valid	15-Jul-20	7-Dec-18
20	BR09GA5869	14-May-21	Valid	4-Jun-20	4-Jun-20

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि उपरोक्त 20 (बीस) वाहन मालिकों के द्वारा जुर्माना की देय राशि जमा किया गया है एवं जमानत पत्र भी दाखिल किया गया है।

अतः उपरोक्त वाहनों को अधिहरण से मुक्त किया जाता है।

35 (पैतिस) वाहन मालिकों के द्वारा जुर्माना का देय राशि जमा नही किया गया है।

अतः उन सभी को सूचना निर्गत किया जाय कि जुर्माना का देय राशि दिनांक– 31/07/2020 तक जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा में जमा किया जाय। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा एवं दैनिक समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को दिया जाय।

लिखापित एवं शुद्ध किया।

11/07/2020
उपायुक्त,
गोड्डा।

11/07/2020
उपायुक्त,
गोड्डा।

Pls put up again on 31/07/2020.

11/07/2020

31/7/2020

आवेदक – जिला खनन पदाधिकारी गोड्डा

प्रतिवादी की ओर से किसी का हाजरी नहीं पड़ा है।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक 1078/एम० दिनांक 13/7/2020 एवं 1094/एम० दिनांक 17/7/2020 प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन में दर्ज है कि 9 (नौ) वाहन एवं 6 (छः) वाहन की ओर से दण्ड स्वरूप देय राशि का भुगतान करते हुए जमानत पत्र दाखिल किया गया है।

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहारण वाद सं0–01/2020–21

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा

वनाम

वाहन निबंधन संख्या- BR07G8694 एवं अन्य 54

–: आदेश :–

दिनांक

01.09.2020

उपायुक्त के आदेश दिनांक–11.07.2020 के अनुपालन के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–1078/एम0, दिनांक–13.07.2020, पत्रांक–1094/एम0 दिनांक–17.07.2020, पत्रांक–1781 /एम0 दिनांक–20.08.2020, पत्रांक–1793/एम0 दिनांक–21.08.2020 एवं पत्रांक–1821/एम0 दिनांक–31.08.2020 से प्राप्त प्रतिवेदन अवलोकन किया गया। कुल–28 (अठाईस) वाहन मालिकों की ओर से देय जुर्माना राशि भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न है:–

Sl.No	Vehicle Number	Total Recoverable Amount	Deposite in Court Nazarat		Deposite in Mining		Deposite in DTO		Total Deposite
1	BR06GC0586	94312.70	96000.00	573/ 09-07-2020	-	-	-	-	96000.00
2	BR10GB1844	114312.70	96000.00	552/ 06-07-2020	18315.00	2001376342/ 09-07-2020	-	-	114315.00
3	BR06GD6704	110312.70	96000.00	489/ 24-06-2020	11315.00	2001380395/ 09-07-2020	-	-	110315.00
					3000.00	2001413440/ 13-07-2020	-	-	
4	BR06GC9428	114312.70	96000.00	488/ 24-06-2020	15315.00	2001380579/ 09-07-2020	-	-	114315.00
					3000.00	2001413433/ 13-07-2020	-	-	
5	BR06GD6655	108312.70	96000.00	485/ 24-06-2020	9315.00	2001380437/ 09-07-2020	-	-	108315.00
					3000.00	2001413416/ 13-07-2020	-	-	
6	BR06GD8327	95927.25	80000.00	487/ 24-06-2020	12930.00	2001380516/ 09-07-2020	-	-	95930.00
					3000.00	2001413403/ 13-07-2020	-	-	
7	BR06GC6785	89541.80	64000.00	486/ 24-06-2020	22550.00	2001380481/ 09-07-2020	-	-	89550.00
					3000.00	2001413372/ 13-07-2020	-	-	
8	BR10GB3304	98312.70	96000.00	554/ 06-07-2020	2315.00	2001376182/ 09-07-2020	-	-	98315.00
9	BR10GB1934	98312.70	96000.00	556/ 06-07-2020	2315.00	2001376275/ 09-07-2020	-	-	98315.00
10	CG04LK7276	83927.25	-	-	63950.00	2001440879/ 16-07-2020	20000.00	242527/ 22-05-2020	83950.00
11	BR01GH6221	94312.70	40000.00	592/ 15-07-2020	34325.00	2001440320/ 16-07-2020	20000.00	242529/ 22-05-2020	94325.00
12	CG04LK9727	81927.25	32000.00	593/ 15-07-2020	29950.00	2001440386/ 16-07-2020	20000.00	242525/ 22-05-2020	81950.00
13	BR01GG9717	82927.25	32000.00	591/ 15-07-2020	29950.00	2001440250/ 16-07-2020	21000.00	242530/ 22-05-2020	82950.00
14	BR01GG6894	96312.76	40000.00	595/ 15-07-2020	34325.00	2001440419/ 16-07-2020	22000.00	242528/ 22-05-2020	96325.00
15	CG04ME1845	83927.25	59000.00	597/ 15-07-2020	2950.00	2001440449/ 16-07-2020	22000.00	242526/ 22-05-2020	83950.00
16	BR01GH6610	98312.70	96000.00	620/ 13-08-2020	2320.00	2001626993/ 13-08-2020	-	-	98320.00
17	BR01GB9228	75541.80	64000.00	634/ 18-08-2020	11545.00	2001652334/ 17-08-2020	-	-	75545.00
18	BR01GG4271	108312.70	96000.00	502/ 25-06-2020	12315.00	2001652361/ 17-08-2020	-	-	108315.00
19	BR07G8694	81927.25	80000.00	604/ 10-04-2020	-	-	20000.00	242533/ 22-05-2020	100000.00
20	HR38Z5481	85927.25	80000.00	601/ 10-08-2020	-	-	24000.00	242531/ 22-05-2020	104000.00
21	BR11GB9503	110312.70	96000.00	636/ 19-08-2020	14325.00	200166750/ 19-08-2020	-	-	110325.00

22	WB11D9446	98312.70	99000.00	603/ 10-08-2020	-	-	-	-	99000.00
23	BR06GD6349	110312.70	96000.00	630/ 17-08-2020	14400.00	2001684808/ 21-08-2020	-	-	110400.00
24	BR06GA0497	97927.25	80000.00	632/ 14-08-2020	18000.00	2001684848/ 21-08-2020	-	-	98000.00
25	BR06GD6942	110312.70	96000.00	627/ 17-08-2020	14400.00	2001684774/ 21-08-2020	-	-	110400.00
26	BR06G7460	87927.25	80000.00	625/ 17-08-2020	8000.00	2001684698/ 21-08-2020	-	-	88000.00
27	BR06GD4942	110312.70	96000.00	667/ 31-08-2020	14400.00	2001755516/ 31-08-2020	-	-	110400.00
28	JH12K7016	95927.25	83000.00	512/ 27-06-2020	12930.00	2001714642/ 25-08-2020	-	-	95930.00

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन एवं विज्ञ सरकारी अधिवक्ता, गोड्डा से प्राप्त मंतव्य से स्पष्ट है कि झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54 (5) के तहत उपरोक्त 28 (अठाईस) वाहन मालिकों के द्वारा जुर्माना की देय राशि भुगतान कर दिया गया है एवं बन्ध पत्र भी दाखिल किया गया है।

अतः उपरोक्त जप्त वाहनों को अधिहरण से मुक्त किया जाता है।

शेष 07 (सात) वाहन निबंधन संख्याा JH12C4650, BR10GA9973, JH02AD5079, JH12E6681, NL01AC7294, BR10GB0941 एवं BR10GB0773 वाहन मालिकों के द्वारा जुर्माना का देय राशि जमा नहीं किया गया है। नैसर्गिक न्याय हेतु अंतिम बार MMDR Act 1957 के धारा–21(4)(ए) एवं झारखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण) के नियम 11(V) के तहत सूचना निर्गत किया जाय कि जुर्माना का देय राशि दिनांक–15.09.2020 तक जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में जमा किये जाने हेतु मौका दिया जाता है, अन्यथा इनके राजसात किये जाने की कार्यवाही की जाय। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, गोड्डा को दिया जाय।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

(हस्ताक्षर) 07.09.2020
उपायुक्त,
गोड्डा।

(हस्ताक्षर) 07.09.2020
उपायुक्त,
गोड्डा।

29/9/2020 अभिलेख उपस्थापित किया। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक 1881/खन० दिनांक 14/9/2020 से प्रतिवेदन प्राप्त है।

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहारण वाद सं0-01/2020-21

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा

वनाम

वाहन निबंधन संख्या- BR07G8694 एवं अन्य 54

-: आदेश :-

उत्तरवादी सं0–30 एवं 37 के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। विज्ञ अधिवक्ताओं का कथन है कि कोविड–19 के कारण न्यायालय द्वारा दिये गये समयावधि में जुर्माना की राशि जमा नहीं किया जा सका था।उत्तरवादी सं0–30 एवं 37 की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के कार्यालय में जुर्माना की राशि जमा कर दिया गया है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा से प्रतिवेदन प्राप्त है।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–1990/एम0 दिनांक–02.11.2020 एवं पत्रांक–2063/एम0 दिनांक–11.11.2020 से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। दोनों उत्तरवादी की ओर से जुर्माना की राशि भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न हैः–

Sl.No	Vehicle Number	Total Recoverable Amount	Deposite in Court Nazarat		Deposite in Mining		Deposite in DTO		Total Deposite
1	BR10GB0941	94312.70	--	--	94325.00	2002194197, 05-10-2020	--	--	94325.00
2	NL01AC7294	107312.70	96000.00	690, 21-09-2020	11315.00	2002749490, 11-11-2020	--	--	107315.00

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के उपरोक्त प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54 (5) के तहत उपरोक्त 02 (दो) वाहन मालिकों के द्वारा जुर्माना की देय राशि भुगतान कर दिया गया है एवं बन्ध पत्र भी दाखिल किया गया है।

अतः उपरोक्त जप्त वाहनों को अधिहरण से मुक्त किया जाता है।

आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को भेजा जाय।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

17.11.

उपायुक्त,
गोड्डा।

17.11.

उपायुक्त,
गोड्डा।

जिला विधि शाखा गोड्डा

ज्ञापांक : ______

उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहारण वाद सं0–01/2020–21

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा

वनाम

वाहन निबंधन संख्या– BR07G8694 एवं अन्य 54

–: आदेश :–

दिनांक 03.10.2020

आदेश दिनांक–01.09.2020 के द्वारा जिन सात वाहन मालिकों के जुर्माना की राशि जमा नही किया गया था, उन सभी वाहन मालिकों को जुर्माना का राशि जमा करने के लिए अंतिम समय दिनांक–15.09.2020 तक किया गया था। उक्त आदेश के अनुपालन में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने अपने पत्रांक–1881/एम0 दिनांक–14.09.2020 से प्रतिवेदन समर्पित किया है। प्रतिवेदन का अवलोकन किया। कुल–05 (पाँच) वाहन मालिकों की ओर से देय जुर्माना राशि भुगतान किया गया है। जिसका विवरण निम्न है:–

Sl.No	Vehicle Number	Total Recoverable Amount	Deposite in Court Nazarat		Deposite in Mining		Deposite in DTO		Total Deposite
1	BR10GA9973	79541.80	64000.00	649/ 21-08-2020	15542.00	2001715378/ 25-08-2020	--	--	79542.00
2	BR10GB0773	106312.70	--	--	106350.00	2001701714/ 24-08-2020	--	--	106350.00
3	JH12C4650	73541.80	67000.00	678/ 14-09-2020	6550.00	2001908577/ 14-09-2020	--	--	73550.00
4	JH02AD5079	94927.25	83000.00	677/ 14-09-202	11950.00	2001908724/ 14-09-2020	--	--	94950.00
5	JH12E6681	95927.25	83000.00	676/ 14-09-202	12950.00	2001908808/ 14-09-2020	--	--	95950.00

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54 (5) के तहत उपरोक्त 05 (पाँच) वाहन मालिकों के द्वारा जुर्माना की देय राशि भुगतान कर दिया गया है एवं बन्ध पत्र भी दाखिल किया गया है।

अतः उपरोक्त जप्त वाहनों को अधिहरण से मुक्त किया जाता है।

शेष 02 (दो) वाहन निबंधन संख्याा NL01AC7294 एवं BR10GB0941 वाहन मालिकों के द्वारा जुर्माना का देय राशि जमा नहीं किया गया है। MMDR Act 1957 के धारा–21(4)(ए) एवं झारखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण) के नियम 11(V) के तहत उक्त दो वाहन सं0–NL01AC7294 एवं BR10GB0941पर अधिहरण वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाती है। आदेश की प्रति जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को भेजें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

03.10.2020
उपायुक्त,
गोड्डा।

03.10.2020
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 16:54:51 +05:30
Location: 192.168.29.8